संख्या-109/2016/1615/सैंतीस-2-2016-1(32)/2015

प्रेषक,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 नवम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (रा.यो.) हेतु राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-52/सा0-एक/एक्स-120/बहु.स.प.चि.से./2016-17, दिनांक-19.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में विकासखण्ड स्तर पर बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (रा.यो.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित रू0-700.00 लाख (रूपये सात करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
02-मजदूरी	20000.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10000.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20000.00
39-औषधि तथा रसायन	10000.00
42-अन्य व्यय	5000.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	5000.00
योग-	**70000.00**

(रूपये सात करोड़ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाईडलाइन्स) के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4) मानक मद 26 में स्वीकृत धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) मानक मद 39 में औषधि एवं रसायन का क्रय इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थाओं एवं क्रय प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) मानक मद 43 में स्वीकृत धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों व शासन द्वारा निर्धारित क्रय नीति का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (रा.यो.)' की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू.ओ.-1021/दस-2016, दिनांक-28.10.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

पृ0सं0-109/2016/1615(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-।।/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in